फर्स्ट कॉलम

■ माय हॉट-व्हील

स्वदेशी विस्टा

टाटा की छोटी कार नैनो को अभी वक्त लग सकता है। उससे पहले ही घरेलू बाजार में अपनी दमदारी दिखाने के मकसद से टाटा मोटर्स ने इंडिका विस्टा लांच की है। इसे पूर्णतः स्वदेशी कार कहा जा सकता है। इसे तीन इंजिन मॉडलों (दो डीजल व एक पेट्रोल) में सात वेरियंट में बाजार में उतारा गया है जिनकी कीमत 3.50 लाख से लेकर 4.88 लाख रुपए तक है। यह कार इंडिका के इससे पहले के मॉडलों से काफी अलग है। करीब 3.8 मीटर लंबी व 1.7 मीटर चौड़ी इस कार में भीतर अपेक्षाकृत अधिक जगह दी गई है। ड्राइविंग सीट की ऊंचाई व स्टीयरिंग के झुकाव को एडजस्ट किया जा सकता है, जिस वजह से कार चलाना कहीं अधिक सुविधाजनक बन सकेगा। ट्यूब रहित टायर व गैस भरे शॉक आब्जर्वर इसकी अन्य विशेषताओं में शामिल हैं। इसके व्हील बेस में मौजूदा इंडिका कारों की तुलना में 70 मिमी की बढ़ोतरी की गई है।

■ माय बैंक

रखें सावधानी

इंटरनेट बैंकिंग सुविधाजनक जरूर है, लेकिन कुछ खतरे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इसका प्रयोग करते समय सावधानी रखनी बेहद जरूरी है।

- बैंक द्वारा दिए गए लॉग इन व ट्रांजेक्शन पासवर्ड को पहली बार में ही बदल लें।
- कोशिश करें कि ट्रांजेक्शन अपने घर के पीसी से ही करें। इंटरनेट कैफे इत्यादि के पीसी से आपका पासवर्ड चोरी किया जा सकता है।
- अगर पीसी पर एंटी वायरस साफ्टवेयर लोड नहीं है तो वहां अपना एकाउंट खोलने से बचें।
- ट्रांजेक्शन पूरा करने के बाद बैंक की साइट से लॉग आउट करना नहीं भूलें।
- आपको ऐसे मेल भी मिल सकते हैं जो आपका पासवर्ड मांगेंगे। इनका जवाब बिल्कुल नहीं दें। कोई भी बैंक कभी भी पासवर्ड नहीं मांगता।

■ माय न्यू प्रोडक्ट

क्लिक...और चमत्कार!

निकॉन ने डी-90 नामक नया डीएसएलआर कैमरा जारी किया है। यह इससे पहले के डी-80 मॉडल की ही बहुत-सी विशेषताएं समाहित किए हुए है, लेकिन इसके बावजूद विशेषज्ञ इसे उससे बेहतर मान रहे हैं। इसमें पुराने आटो फोकस लेंसों के साथ-साथ नए इलेक्ट्रानिक लेंसों का भी प्रयोग किया जा सकता है। 12.3 मेगापिक्सल का यह कैमरा प्रति सेकंड 4.5 फ्रेम उतारता है। 920 डॉट एलसीडी के 3 इंची लाइव डिस्प्ले की वजह से संतोष के साथ इस बात की जांच की जा सकेगी कि जो तस्वीर उतारी गई है, उसकी गुणवत्ता क्या है। इसमें इस्तेमाल की गई बैटरी से कम से कम 850 शॉट निकाले जा सकते हैं। इसे फिलहाल अमेरिकी बाजार में उतारा गया है। वहां बगैर लेंस के इसकी कीमत करीब 1,000 डॉलर और लेंस किट के साथ 1,300 डॉलर है।

■ माय बुक

बाजार के सिखाए गुर

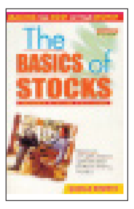

इक्विटी में निवेश कभी भी जोखिम मुक्त नहीं रहा है। आज शेयर बाजार की जो हालत है, उससे निवेशकों का विश्वास डगमगाया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इक्विटी ही ऐसा माध्यम है जिसके जरिये भारी रिटर्न हासिल किया जा सकता है। इसलिए जरूरत शेयर बाजार से भागने की नहीं, उसे समझने की है। शेयर मार्केट के विशेषज्ञ गेराल्ड क्रीफेट्स अपनी पुस्तक 'द बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स' के माध्यम से बाजार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गेराल्ड शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत करने के साथ-साथ अच्छे शेयरों की पहचान करने व अपने निवेश मकसद के अनुरूप पोर्टफोलियो बनाने के गुर भी सिखाते हैं। पुस्तक महज 124 पृष्ठों की है, लेकिन अंतिम पेज तक आते-आते यह आपको इस बात का विश्वास दिला जाती है कि आप भी एक बेहतर इन्वेस्टर व ट्रेडर बन सकते हैं। इसके पेपरबैक संस्करण की कीमत 190 रुपए है।

नो पेंशन नो टेंशन घर है ना!

अरिंदम बोस

रिटायर होने के बाद उन बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है। ऐसे बुजुर्ग एकत्र जमा-पूंजी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, वे क्या करें? यदि उनका अपना मकान है तो फिर वे उसे 'रिवर्स मोर्गेज' के तहत किसी बैंक के पास गिरवी रखकर लंबे समय तक हर महीने एक निश्चित राशि प्राप्त कर सकते हैं।

राग वामदत्त

रिटायर होने के बाद भी शर्माजी बेफिक्र हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें न तो कोई पेंशन मिलने वाली है और न ही उन्होंने ऐसा कोई निवेश कर रखा है जिसके जरिये उन्हें कोई नियमित आय होती हो। फिर चिंतामुक्त होने की वजह? दरअसल, उनके पास अपना मकान है जिसे उन्होंने 15 साल के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखने का फैसला किया है। करीब 40 लाख रुपए के इस मकान के बदले उन्हें इस अवधि के दौरान हर महीने 7,680 रुपए मिल सकेंगे।

यह संभव हो सका है 'रिवर्स मोर्गेज' व्यवस्था के तहत जिसे भारत में हाल ही में कुछ बैंकों व वित्तीय संस्थानों ने शुरू किया है। जिस प्रकार से किसी मकान को खरीदने के लिए बैंक 80-85 फीसदी तक कर्ज देता है और फिर उसकी भरपाई 15 से 20 साल के दौरान मासिक किस्तों (ईएमआई) के रूप में करता है, उसी प्रकार रिवर्स मोर्गेज में बैंक मकान गिरवी लेकर उसके बदले में एक निश्चित अवधि (अमूमन 15 साल) तक के लिए हर माह एक निश्चित राशि मकान मालिक को देता रहता है। इसमें अगले कई वर्षों तक वैसी ही नियमित मासिक आय हासिल की जा सकती है, जैसी पेंशन मिलती है।

माय प्लानिंग

इस प्रणाली के कई लाभ हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अवधि की समाप्ति के बाद न तो मासिक तौर पर दी गई राशि बैंक को वापस लौटाने की जरूरत होगी और न ही मकान से हटने की। मोर्गेज पर मकान देने वाला व्यक्ति जिंदगी भर अपने मकान में रह सकता है। उसके निधन के बाद जीवनसाथी को भी उसी मकान में रहने की अनुमति होगी। बैंक इस संपत्ति को तभी बेच सकेगा जब रिवर्स मोर्गेज लेने वाला व्यक्ति और उसका जीवनसाथी दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे। एक फायदा यह भी है कि यदि बेची गई संपत्ति का मूल्य बैंक की राशि (मासिक राशि और उस पर ब्याज) से ज्यादा होगा, तो शेष राशि मोर्गेज लेने वाले व्यक्ति के वैधानिक वारिस को दे दी जाएगी, लेकिन संपत्ति का मूल्य बैंक की बकाया राशि से कम है तो वारिस से पैसा नहीं मांगा जाएगा। उस नुकसान को खुद बैंक उठाएगा। यदि वारिस उस मकान को रखना चाहता है, तो इसका भी विकल्प है। बैंक की संपूर्ण राशि चुकाकर वह मकान अपने पास रख सकता है। एक बड़ा लाभ यह भी है कि बैंक से प्राप्त पूरी राशि आयकर से मुक्त है।

सवाल यह है कि आखिर मकान के बदले राशि कितनी मिलेगी? बैंकों ने इसके लिए कुछ आधार तय किए हैं। इसमें एक है मूल्य अनुपात। यदि किसी मकान की कीमत 40 लाख रुपए है और मूल्य अनुपात (वैल्यू रेशो) 70 फीसदी है तो रिवर्स मोर्गेज 28 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन यदि मूल्य अनुपात 90 फीसदी है तो यह राशि 36 लाख रुपए होगी। यही वह राशि होगी जिसे बैंक मासिक किश्तों में देगा। इसमें ब्याज भी जुड़ा रहेगा। संपत्ति का जितना अधिक मूल्य अनुपात होगा, उतना ही अधिक मासिक भुगतान होगा।

इसका दूसरा आधार है अवधि। मोर्गेज की अवधि जितनी कम होगी, मासिक भुगतान उतना अधिक होगा, लेकिन अधिक राशि प्राप्त करने के प्रयास में बहुत ज्यादा कम अवधि नहीं रखें, क्योंकि अवधि खत्म होते ही आपकी नियमित आय पर फिर से ब्रेक लग जाएगा। अवधि तय करने से पहले अपनी जरूरतों का आकलन जरूर कर लें।

राशि मिलने का तीसरा आधार है उम्र। बैंकों का सामान्य नियम यह है कि अपेक्षाकृत अधिक उम्र वाले व्यक्ति के लिए मासिक आय अधिक होती है, क्योंकि कम उम्र वाले व्यक्ति के साथ मोर्गेज कांट्रेक्ट करने का मतलब यह निकाला जाता है कि बैंक की राशि अधिक समय तक फंसी रहेगी।

रिवर्स मोर्गेज की अवधारणा खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार की गई है। इसलिए हर व्यक्ति इसका पात्र नहीं हो सकता। आप इसका फायदा तभी उठा सकते हैं, जब उसकी शर्तों के दायरे में आते हों। सामान्य शर्तें इस प्रकार हैं:

- बैंक द्वारा तय की गई न्यूनतम उम्र के दायरे में आते हों।
- खुद का खरीदा या बनवाया गया मकान हो। पैतृक संपत्ति नहीं चलेगी।
- मकान पर कर्ज के रूप में कुछ भी बकाया न हो यानी मकान के लिए लिया गया कर्ज चुका दिया गया हो और इसके बाद उसके बदले में कोई नया कर्ज नहीं लिया गया हो।
- आपको पेंशन नहीं मिलती हो या आप यह साबित कर सकें कि जो पेंशन मिल रही है, वह आपके लिए अपर्याप्त है।

(लेखक न्यूयार्क में बिजनेस एनालिस्ट और वेबसाइट www.RaagVamdatt.com के सलाहकार हैं।)

इतनी मिलेगी राशि...

शर्माजी के मकान की कीमत 40 लाख रुपए है। उन्होंने पीएनबी से रिवर्स मोर्गेज लेने का फैसला किया है। पीएनबी के नियमानुसार शर्माजी के मकान का मूल्य अनुपात 80 फीसदी होगा, यानी उन्हें कुल मिलाकर 32 लाख रुपए का रिवर्स मोर्गेज मिल सकेगा। इसमें उनकी मासिक आय इस प्रकार होगी :

- **10 साल के लिए** : 15,680 रुपए प्रति माह
- **15 साल के लिए** : 7,680 रुपए प्रति माह
- **20 साल के लिए** : 4,320 रुपए प्रति माह

प्रमुख बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन

बैंक	पीएनबी	इंडियन बैंक	एसबीआई	कार्पोरेशन बैंक
न्यूनतम आयु (साल)	60	60	60	55
मूल्य अनुपात (फीसदी)	80	केस-दर-केस	90	45-70
ब्याज दर (फीसदी)	10	10	10.75	10.50
अवधि (साल)	10-20	15	10-15	5-15
कितनी राशि (मासिक/प्रति लाख रु.)	490 से 135	555	468 से 225	1263 से 228

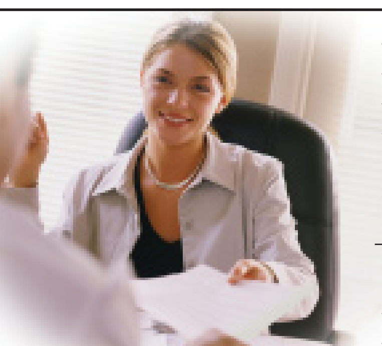

अपने रिश्तेदार को संपत्ति का हस्तांतरण करते समय आयकर के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि आपकी संपत्ति तो चली जाए, लेकिन उससे अर्जित आय पर टैक्स का दायित्व आप पर ही बना रहे।

संपत्ति ही नहीं कर दायित्व भी करें ट्रांसफर

सुभाष लखोटिया

ऐसे कई मौके आते हैं जब कोई व्यक्ति अपने करीबी रिश्तेदार को उपहार इत्यादि के रूप में अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है। संपत्ति देने के बाद व्यक्ति समझ लेता है कि अब उससे अर्जित आय पर उसे कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधान इस अनुमान को गलत साबित कर सकते हैं। वैसे कई रास्ते भी हैं जिनके जरिये इन प्रावधानों से बचा जा सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 61 के तहत संपत्ति हस्तांतरण के दो प्रावधान हैं। यदि संपत्ति का हस्तांतरण निरस्त करने के योग्य है तो उस संपत्ति से होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की आय में जुड़ेगी और उसी पर आयकर का दायित्व आएगा। हालांकि निरस्त किए जाने के मामले में भी कुछ अपवाद हैं। यदि संपत्ति का हस्तांतरण किसी ट्रस्ट या उपहार के जरिये होता है तो इस स्थिति में उससे अर्जित आय उसी की मानी जाएगी जिसके नाम संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है। शर्त यह है कि इस आय से हस्तांतरणकर्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ नहीं कमा रहा हो।

आमतौर पर निरस्त नहीं किए जाने वाले संपत्ति हस्तांतरण के मामले में उससे अर्जित आय पर कर दायित्व उसी व्यक्ति का माना जाता है, जिसे संपत्ति हस्तांतरित की गई है। लेकिन धारा 64(1) में क्लबिंग के प्रावधान के मद्देनजर कुछ अपवाद भी हैं। कोई संपत्ति उपहार इत्यादि के रूप में अपने जीवन साथी (पति या पत्नी) अथवा बहू को दी गई है तो उससे अर्जित आय संपत्ति देने वाले की ही आय में जुड़ेगी, पाने वाले की आय में नहीं। अतः संपत्ति हस्तांतरण में इस पहलू का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि शादी के पहले ही अपनी होने वाली बहू के नाम संपत्ति का हस्तांतरण करने पर क्लबिंग का प्रावधान लागू नहीं होगा।

माय एडवाइज

धारा 64(2) के तहत कोई व्यक्ति खुद की संपत्ति अपने अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ) को हस्तांतरित करता है तो उससे अर्जित आय उसकी आय में जुड़ेगी, न कि एचयूएफ की आय में। इससे बचने का तरीका है। ऐसा व्यक्ति विवाहित पुत्र, विवाहित पौत्र या विवाहित भाई के नाम पर पृथक एचयूएफ शाखा बनाकर उसे संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है। कई बार संपत्ति का हस्तांतरण भविष्य के रिश्तेदारों जैसे होने वाली बहू, होने वाले दामाद इत्यादि के लाभ के लिए भी किया जाता है। इसके लिए बनाए गए ट्रस्ट संपत्ति हस्तांतरण कानून के तहत मान्य हैं। ऐसे ट्रस्ट से अर्जित आय लाथार्थी की आय में जुड़ेगी।

(लेखक जाने-माने कर एवं निवेश विशेषज्ञ हैं।)

दान पर टैक्स छूट का 'वरदान'

भागीरथ पटवा

दीपक शर्मा

गणेश चतुर्थी विशेष

अनुराग बहुत ही धार्मिक व उत्सवप्रेमी हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने शहर में होने वाले भव्य गणेशोत्सव कार्यक्रम के लिए भारी दान दिया है। अनुराग ने भले ही निस्स्वार्थ भावना से दान दिया है, लेकिन उन्हें दान दी गई राशि पर आयकर की छूट भी हासिल होगी। ऐसा भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत संभव हो सकेगा।

आयकर अधिनियम की धारा 12 (ए) के तहत पंजीकृत ऐसे पब्लिक रिलिजियस या चेरिटेबल ट्रस्टों जिन्हें 80जी के तहत छूट की पात्रता है, को चंदा या दान देने पर आयकर में छूट प्राप्त की जा सकती है।

कितनी मिलेगी छूट?

आयकर अधिनियम में प्रावधान है कि 80जी की छूट घटाने के पहले कुल करयोग्य आय की 10 फीसदी का 50 फीसदी अथवा दान दी गई राशि का 50 फीसदी, दोनों में से जो राशि कम होगी, उतनी छूट मिलेगी। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। 'अ' की करयोग्य आय तीन लाख रुपए है और उसने 50 हजार रुपए का चंदा दिया है तो उसका आकलन इस प्रकार से होगा। उसकी तीन लाख रुपए की करयोग्य आय का 10 फीसदी होगा 30 हजार रुपए और इस राशि का 50 फीसदी होगा 15 हजार रुपए। 'अ' द्वारा दिए गए चंदे का 50 फीसदी होगा 25 हजार रुपए। यहां कम राशि 15 हजार रुपए है। इसलिए दिए गए दान पर 15 हजार रुपए की छूट मिलेगी।

समितियों को क्या लाभ?

आयकर अधिनियम की धारा 12 (ए) के तहत पंजीकृत पब्लिक रिलिजियस या चेरिटेबल ट्रस्टों को लिए गए चंदे या दान पर आयकर की छूट हासिल हो सकती है। इसके लिए उन्हें आयकर विभाग के सक्षम अधिकारी को आवेदन देना होगा जिसके आधार पर उन्हें धारा 10(23सी)(पांच) के तहत आयकर में करमुक्त आय की पात्रता प्रदान की जा सकती है। यदि किसी समिति को करमुक्त आय की पात्रता नहीं है, तब भी वह धारा 11 के तहत कुछ शर्तों के साथ आयकर की छूट हासिल कर सकती है।

इसके अलावा कोई संस्था या व्यक्ति अपना खुद का चेरिटेबल ट्रस्ट बनाकर इसके जरिये भी दूसरे ट्रस्टों को दान दे सकता है। इसमें दोनों ही ट्रस्टों को आयकर छूट का लाभ मिलता है।

(लेखक इंदौर में सेवारत चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं)

माय च्वाइस

इकोनॉमिक और इको फ्रेंडली, इन दो शब्दों पर सवार ई-बाइक में एफ-बाइक बनने की पूरी संभावनाएं देखी जा रही हैं। एफ-बाइक यानी फ्यूचर की बाइक। इसकी कई खामियों के बावजूद इसी में भविष्य नजर आ रहा है। पेट्रोल के दाम तो बढ़ने ही हैं। तो फिर क्यों न बैटरी वाली इन गाड़ियों को आजमाया जाए।

चार्ज करो निकल पड़ो

ए. जयजीत

सुरेश मित्तल ने अपनी बेटी अंकिता को वादा किया था कि उसके कॉलेज जाने पर उसे टू-व्हीलर लेकर देंगे। अब उन्हें यह वादा निभाना है, लेकिन उनकी दो समस्याएं हैं- एक, उनका पेट्रोल का खर्च बढ़ जाएगा। और दूसरी, उन्हें डर है कि उनकी बेटी कहीं अधिक स्पीड में किसी दिन हादसे का शिकार न हो जाए।

मित्तल की इन दोनों समस्याओं का समाधान है इलेक्ट्रिक यानी ई-बाइक। बैटरी चलित इन गाड़ियों में पेट्रोल की जरूरत नहीं है। गाड़ी को रोजाना बस चार्ज करना पड़ेगा। दूसरा, इनकी गति का दायरा बहुत ही सीमित है। इसलिए इस मामले में भी मित्तल बेफिक्र रह सकते हैं।

ई-बाइक लेने के इच्छुक लोगों के सामने कुछ सवाल उठ सकते हैं कि आखिर इन्हें कितना चार्ज करना पड़ेगा, बिजली कितनी खर्च होगी, एक चार्जिंग के बाद गाड़ी कितनी चल पाएगी, इत्यादि। भोपाल स्थित एक कंपनी में सेल्स मैनेजर वसीम खान के मुताबिक कोई भी ई-बाइक 7 से 8 घंटे की चार्जिंग में आराम से 40 से 50 किमी तक चल सकती है। इस पर करीब डेढ़ यूनिट बिजली लगेगी, यानी सात-आठ रुपए। जहां तक बाइक चुनने का सवाल है तो यह दो सेगमेंट में उपलब्ध हैं। एक, जिनकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी, गति 25 किमी से ज्यादा है। आपको अपने स्कूली बच्चे के लिए ई-बाइक खरीदनी है तो पहले सेगमेंट की बाइक खरीदें जिसमें रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जिसे कोई भी चला सके तो फिर 40-45 किमी गति वाले सेगमेंट की बाइक खरीदें। इसमें जरूरत पड़ने पर सवार सहित दो लोग भी बैठ सकते हैं।

+ पॉइंट

- लगभग शून्य मेंटेनेंस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
- पेट्रोल वाली गाड़ियों की तुलना में कम से कम दस गुना सस्ती।
- पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त। न वायु प्रदूषण, न ध्वनि प्रदूषण।

− पॉइंट

- इसके ज्यादा मैकेनिक नहीं हैं। पार्ट्स मिलने में भी दिक्कत हो सकती है।
- चार्जिंग की समस्या। किसी ऊपरी मंजिल पर रहने से दिक्कत।
- स्पीड बहुत कम। लंबी दूरी तक इससे नहीं जाया जा सकता।

क्या कोई शक!

■ **लाइसेंस जरूरी है?**
25 किमी प्रति घंटे से कम रफ्तार वाली ई-बाइक के लिए लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन इससे अधिक गति वाली ई-बाइक के लिए दोनों आवश्यक है।

■ **चार्जिंग की दिक्कत?**
कंपनियों ने चार्जिंग स्टेशन बनाने की पहल भी शुरू कर दी है। ऐसे स्टेशनों पर किसी भी ब्रांड की गाड़ी चार्ज की जा सकेगी।

■ **सर्विसिंग करवानी होगी?**
वैसे यह शून्य मेंटनेंस गाड़ी है, लेकिन कंपनी की मार्गदर्शिका के अनुसार समय-समय पर सर्विसिंग करवाया जाना बेहतर होगा।

■ **स्पेअर पार्ट्स मुहैया हैं?**
छोटी कंपनियों के स्पेअर पार्ट्स मिलने में दिक्कत हो सकती हैं, हालांकि बड़ी कंपनियां इस बात की गारंटी देती हैं।

■ **बारिश में दिक्कत आएगी?**
इनकी बैटरियों का परीक्षण पानी में भी हो चुका है। इसलिए बैटरी खराब होने की आशंका फिलहाल तो नजर नहीं आती।

■ **भविष्य में क्या नया?**
अधिक गति वाले वाहन बाजार में उतारे जाएंगे। हाइब्रिड बाइक आने के बाद इसे पेट्रोल या बैटरी दोनों से चलाने का विकल्प मिल सकेगा।

यो स्पीड
कंपनी : इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लि.
दाम : 36,500 रुपए
अधिकतम गति : 45 किमी प्रति घंटा
वॉट : 750
रैंज : एक बार चार्ज करने पर चलेगी 60 से 65 किमी

स्कूटी टींज
कंपनी : टीवीएस मोटर
दाम : 32,200 रुपए
अधिकतम गति : 40 किमी प्रति घंटा
वॉट : 800
रैंज : एक बार चार्ज करने पर 40 किमी

मैक्सी
कंपनी : हीरो इलेक्ट्रिक
दाम : 29,000 रुपए
अधिकतम गति : 25 किमी प्रति घंटा
वॉट : 250
रैंज : एक बार चार्ज करने पर 50 किमी